बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंशकालीन/अतिथि अनुदेशकों के पैनल निर्माण हेतु ऑनलाईन आवेदन का आमंत्रण

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में विभिन्न व्यवसायों/विषयों में प्रशिक्षण कार्य संपादित करने हेतु अंशकालीन/अतिथि अनुदेशक के पैनल निर्माण हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

- ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय बेवसाईट– www.labour.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक– 26.11.2018 के अपराहन् 4:00 बजे तक है।
- ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विभागीय बेवसाईट– www.labour.bih.nic.in पर उपलब्ध लिंक **Invitation of Application For Guest Faculty** पर आवेदन कर सकते हैं।
- इच्छुक आवेदक जो उक्त पदों के लिये पात्रता/अहर्त्ता को पूरा करते है, वे अपने विकल्प के आधार पर अपने गृह जिला से संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
- गृह जिला के अन्तर्गत अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये किये गये आवेदन को ही वैध माना जाएगा तथा वैसे आवेदन जो गृह जिला के बाहर के निवासी से प्राप्त होते हैं, उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- विवाहित महिला आवेदकों के लिये उनके पति का गृह जिला ही मान्य होगा।
- यह नियुक्ति नहीं बल्कि पूर्णतः वैकल्पिक व्यवस्था है एवं भविष्य में इस पर किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
- भविष्य में संविदा अथवा नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशक/अतिथि अनुदेशकों को प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा।
- ऑनलाईन आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- Manual आवेदन मान्य नहीं होगा।

अंशकालीन/अतिथि अनुदेशकों के पैनल निर्माण हेतु पात्रता/अहर्त्ता

1. किसी भी सरकारी तकनीकी संस्थान/संस्था से सेवानिवृत व्याख्याता/अनुदेशक।
2. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम/स्वायत्तशासी प्रतिष्ठानों/प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के सेवानिवृत तकनीकी पदाधिकारी/कर्मी।
3. सेना/अर्द्धसैनिक बल से सेवानिवृत अनुभवी तकनीकी कर्मी/तकनीशियन/तकनीकी सुपरवाईजर, जो शारीरिक रूप एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो।
4. डिग्री/डिप्लोमा/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/शिक्षुता प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी अथवा इसके समकक्ष से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों जिन्हें सैद्धांतिक एवं वर्कशॉप के लिये व्यवहारिक ज्ञान हो।
5. सरकारी अभियंत्रण/पोलिटेकनिक संस्थान के कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी/कर्मचारी।
6. बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग से संबंद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत् तकनीकी पदाधिकारी/कर्मचारी।
7. व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्य के लिये संबंधित व्यवसाय में स्थानीय स्व–नियोजित/दिहारी कर्मचारी/कुशल कारीगर।

अंशकालीन/अतिथि अनुदेशकों की पात्रता/अहर्त्ता हेतु तीन वर्ग (Category)

- Category-A – एन0 आई0 टी0/इंजिनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक में कार्यरत व्याख्याता।
- Category-B – किसी भी सरकारी तकनीकी संस्था, केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम, स्वायत्तशासी प्रतिष्ठानों/सेना, अर्द्धसैनिक बल से सेवानिवृत या कार्यरत तकनीकी कर्मी/तकनीशियन/तकनीकी सुपरवाईजर।
- Category-C – डिग्री/डिप्लोमा धारक अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अनुभवी युवक/युवतियों, जिन्हें वर्कशॉप का व्यवहारिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान हो/स्वनियोजित /कुशल कारीगर/दिहाड़ी

अंशकालीन/अतिथि अनुदेशको का देय पारिश्रमिक

- Category-A – रू0–1200/– प्रति घंटा की दर से अधिकतम रू0–21000/–प्रति माह भुगतान किया जायेगा।
- Category-B – रू0–400/– प्रति घंटा की दर से अधिकतम रू0–18000/– प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
- Category-C – रू0–300/– प्रति घंटा की दर से अधिकतम रू0–18000/– प्रति माह भुगतान किया जाएगा।

नोटः– *विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट–* **www.labour.bih.nic.in** *से प्राप्त की जा सकती है।*

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।